381

न्यायालय में श्रीमान सदस्य महोदय रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/उमरिया/भू.रा/2018/1378

गिरेन्द्र आत्मज बालमीक बरगाही
निवासी सोहागपुर थाना व तह0 सोहागपुर
जिला शहडोल म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. कौशल्या बाई पति स्व0 ललवा सेन
2. भोला
3. बिटटू बाई
4. शोभा बाई
5. शिवा बाई
6. फुल्लू बाई
7. बिन्नू बाई

(3 से 7) सभी आत्मज स्व0 ललवा सेन निवासी सोहागपुर वार्ड नं0–2 थाना व तह0 सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

8. भैया
9. रश्मि
10. प्रदीप
11. पंकज

(9 से 11) आत्मज बब्बू नापित निवासी ग्राम देवगवां थाना व तह0 पाली जिला उमरिया म0प्र0 .... गैर निगरानीकर्ता

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पाली जिला उमरिया म0प्र0 के रा.प्र.क्रं. 16 अपील/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.09.17, 24.10.17 एवं 17.04.15 के विरूद्ध राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

संक्षिप्त में इस निगरानी के तथ्य निम्नलिखित है :–

1. यह कि आ.ख.नं. 145 रकवा 2.00 एकड स्थित मौजा देवगवां सर्किल अमिलिहा तह0 पाली जिला उमरिया म0प्र0 मृत ललवा सेन के पटटे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./उमरिया/भू.रा./2018/1378

गिरेन्द्र विरूद्व श्रीमती कौशल्या बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पाली, जिला-उमरिया के प्रकरण क्रमांक-16/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2017, 24-10-2017 एवं 17-04-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-03-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार, जिला-उमरिया के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर उमरिया के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

11-01-19

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर उमरिया को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर उमरिया के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

11.01.19

(आर.के. जैन)

सदस्य